

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

03 अगस्त, 2023 (ई०)

गुरुवार, तिथि-

[द्वादश (मानसून) सत्र]

12 श्रावण, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तर:-

(01) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

(04) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23 एवं 02-08-2023 से स्थगित)

(05) सर्वश्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, विनोद कुमार सिंह एवं श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23 एवं 02-08-2023 से स्थगित)

(06) डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23 एवं 02-08-2023 से स्थगित)

(07) डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23 एवं 02-08-2023 से स्थगित)

(08) श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23 एवं 02-08-2023 से स्थगित)

-:02:-

(09) श्री मथुरा प्रसाद महतो,स0वि0स0 एवं श्री सुखराम उरौंव, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 02-08-2023 से स्थगित)

(10) श्री बिरंची नारायण,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 02-08-2023 से स्थगित)

(11) श्री कमलेश कुमार सिंह,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 02-08-2023 से स्थगित)

(12) श्री विकास कुमार मुण्डा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 02-08-2023 से स्थगित)

(13) श्री राज सिन्हा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 02-08-2023 से स्थगित)

(14) श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(15) श्री दशरथ गागराई,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(16) डॉ0इरफान अंसारी, श्री मंगल कालिन्दी एवं श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(17) श्री निरल पुरती,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(18) श्री अमित कुमार मण्डल,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

-:समितियों का गठन:-

(19) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (20)-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्रीमती जोबा मांझी द्वारा झारखण्ड राज्य महिला आयोग (वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2008, की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (21) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की प्रभारी मंत्री, श्रीमती जोबा मांझी द्वारा झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नियमावली, 2011 की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (22) वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगार पर कर नियमावली, 2012 की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (23) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-7025 , दिनांक-15-11-2011 की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (24) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, 2020-2022 (01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक) की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (25) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (26) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

“झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023”

- (27) प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (28) प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (29) प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023” पर विचार हो।

(30) प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री हेमन्त सोरेन प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023” स्वीकृत हो।

(31) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-2083/वि०स०, राँची, दिनांक-०२/०८/२३

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उ००५

०२/०८/२०२३

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-2083/वि०स०, राँची, दिनांक-०२/०८/२३

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उ००५

०२/०८/२०२३

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-2083/वि०स०, राँची, दिनांक-०२/०८/२३

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उ००५

०२/०८/२०२३

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण/

३०८
०२.०८.२३